

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

क्रमांक /टीसी/44/भोपाल/उपां/नग्रानि/2018 भोपाल, दिनांक:- /2018
प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला भोपाल (म.प्र.)।
2. संयुक्त संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश,
जिला कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत,
जिला भोपाल (म.प्र.)।
4. आयुक्त,
नगर पालिक निगम, भोपाल (म.प्र.)।
जिला भोपाल (म.प्र.)।

विषय:- भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण बाबत (ग्राम-अचारपुरा, खसरा क्रमांक- 263/2, 264/2, 264/2, 265, 267/1/2)।

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल द्वारा भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण प्रस्तावित किया गया है। जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये दो स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करने का कष्ट करे।

संलग्न:-यथोपरि।

(राहुल जैन)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

दिनांक:- 01/08/2018

पृ. क्रमांक 5754 /टीसी/44/भोपाल/उपां/नग्रानि/2018 भोपाल,

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक/सहायक सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई.टी. नगर तथा ग्राम निवेश, (म.प्र.) भोपाल को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

(राहुल जैन)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

म.प्र. भोपाल

भोपाल

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश भोपाल

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in, दूरभाष-0755-2427091

सूचना

भोपाल, दिनांक 01/11/2018

क्रमांक 5751 /44/उपां/टीसी/ भोपाल/ 2018 - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट भोपाल विकास योजना 2005 में उपान्तरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

| क्रं | ग्राम | खसरा क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग | उपान्तरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग |
|------|----------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | अचारपुरा | 263/2 264/2 265 267/1/2 | 13.12 01.72 05.20 23.96 | कृषि | सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा औद्योगिक |
| | | योग:- | 44.00 हेक्टेयर | | |

शर्त:- प्रश्नाधीन भूमि के मध्य दर्शित मार्गों का प्रस्तावित अभिन्यास में समायोजन करना आवश्यक होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, भोपाल को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर संचालक द्वारा विचार किया जाएगा।

(राहुल जैन)

संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश

M भोपाल